No. ID/YMN/217-83/51205.—Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that an industrial dispute exists between the workman, Shri Mam Chand and the management of M/s (i) Shri P. K. Sagar Contractor Bailing Board Saw Mills, Unit Shri Gopal, Yamuna Nagar (ii) Vidyadhar Mishar & Shankar Tiwari Contractor Bailing Board Saw Mills Ballarpur Industries Ltd. Unit Shree Gopal Yamunanagar regarding the matter hereinafter appearing;

And whereas the Governor of Haryana considers it desirable to refer the dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (i) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby refers to the Labour Court, Faridabad, constituted,—*vide* Government notification No. 11495-G-Lab/57/11245, dated 7th February, 1958, read with notification No. 5414-3Lab-68/15254, dated 20th June, 1968 under section 7 of the said Act, the matter specified below being either matter in dispute or matter relevant to or connected with the dispute as between the said management and workman for adjudication :—

Whether the termination of service of Shri Mam Chand was justified and in order? If not, to what relief is he entiled ?

V. S. CHAUDHRI,
Deputy Secretary to Govt., Haryana,
Labour Department.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 16 सितम्बर, 1983

सं० ओ०वी०/करनाल/1-83/48618.— चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि चीफ इंजीनियर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एच.एस.ई.बी., आइन (पानीपत) (2) सचिव हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड, चण्डीगढ़ के श्रमिक श्री कृपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है:

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे निर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं;

क्या श्री कृपाल सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

19 सितम्बर, 1983

सं० ओ. बी./एफ.डी-/90-83/48957.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राए है कि हरियाणा राज्य परिवहन, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री राम चन्द्र, ड्राईवर तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामलों में कोई औद्योगिक विवाद है:

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं:

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं० 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम/57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधिन गठित श्रम न्यायलय फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है:—

क्या श्री राम चन्द्र, ड्राईवर को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?